[illegible] 27/2/2017 को पेश हो।

तहसीलदार, पिपाड़ सिटी
(नागौर - राजस्थान)

188
22/2/17

27/2/2017 पत्रावली पेश हुई। गैर खातेदार अनुसूचित जाति। पत्रावली का अवलोकन किया से प्रतीत है। इस प्रकार दिनांक [illegible] को मौजा [illegible] के खसरा 710 रकबा 0.05 हेक्टेयर किस्म भूमि गै मु० गोचर पर सम्वत 2073 में जसाराम पुत्र पाबूराम कोम लोहार नि० [illegible] के विरुद्ध गै० मु० गोचर राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा पाया कार्यवाही के सम्बन्ध में डी० पी० रिपोर्ट पेश किया जिस पर इस न्यायालय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर खातेदार जसाराम पुत्र पाबूराम कोम लोहार नि० [illegible] के विरुद्ध LR ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर खातेदार के भाई [illegible] प्रतिनिधि जिले में [illegible] की जसाराम ग्राम [illegible] तह० [illegible] में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म की तामील में जारी हुए

[illegible] ऐसी स्थिति गैर खातेदार के बहाल
होने से भी [illegible] तामीर से बाधा उत्पन्न
हो रही है गैर खातेदार को इस संबंध में सूचित
भी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति गैर खातेदार
के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए [illegible]
[illegible] के [illegible] 710 रकबा 0.0 हेक्टेयर
भूमि मौके पर जिसे उसे अतिक्रमण से
मुक्त कर कब्जा वापस करते हुए सरकार
के कब्जा का पंचनामा प्रस्तुत करावें। शेष
8/(आठ सप्ताह) का समय दिये जाते हैं। पटवारी हल्का
[illegible] को हुक्म दिया जाता है कि भूमि मौके पर
गाटा के [illegible] 710 रकबा 0.03 हेक्टेयर
पर जिसे उसे अतिक्रमण को मुक्त कर
करते हुए अवलोकन प्रस्तुत करावें। शेष [illegible]
[illegible] पत्रावली मोग लगाई है [illegible]
[illegible] को भेजी जाकर पत्रावली फैसल शुमार
[illegible] निर्णय आज दि 27/2/2017
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तह. सी.लदार, सियां बड़ी
(झुंझुनूं - राजस्थान)

वर्ष 2017 ..... तारीख ..... 08/..
रा.ले. 4 [illegible] नं. 142 पर दर्ज की।
[illegible]